अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

	मुद्दे	अनुरोध सबमिट करने से जुड़ी खास जानकारी	प्रस्तावित श्रेणी
1	इंक्वायरी की अहमियत।	मिले हुए सभी अनुरोधों में यह कहा गया है कि एक सार्वजनिक जाँच की जानी चाहिए। अनुरोधों में जिन वजहों पर ज़ोर दिया गया वे हैं: न्यूज़ीलैंड में ऐसे हमले पहले कभी नहीं हुए, कोई भी क्रिमिनल ट्रायल (आपराधिक मुकदमा) नहीं हुआ, परिवार RCOI की प्रक्रिया में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले पाए, RCOI ने सिर्फ़ सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों की कार्रवाइयों पर ध्यान दिया, RCOI के सबूतों को दबा दिया गया, उन्हें मिटा दिया गया या जाँच के दायरे से बाहर कर दिया गया। यह सार्वजनिक स्तर पर की जाने वाली आखिरी कानूनी कार्यवाही है। कई लोगों ने अपने अनुरोधों में इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि RCOI ने सभी मुद्दों को संतोषजनक ढंग से देखा था या नहीं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि RCOI ने खास सवालों के जवाब पाने के लिए, बारीकी से अपनी पूरी कोशिश की हो और उस जवाबदेही के साथ काम किया हो जिसकी उनसे उम्मीद थी। हमले के पीड़ित भी RCOI की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर पा रहे (भाषा, पेशेवर सहायता की कमी और पहुंच से जुड़े अन्य मुद्दों की वजह से) और उन्हें लगता है कि भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए, कारगर सुझाव दिए जाने ज़रूरी हैं। घटना के बाद से लगातार ऐसा लगता रहा है कि पिछली कानूनी प्रक्रियाओं में पीड़ितों और उनके परिवारों को जो समस्याएँ हुई हैं उनकी वजह से वे अनसुना और असहाय महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया की ज़रूरत है जो जाँच को मज़बूती दे और जिसका ध्यान पूरी तरह से घटना के हर पहलुओं पर केंद्रित हो।	जानकारी नहीं उपलब्ध है

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

2	आतंकवादी को किस तरह कट्टरपंथी बनाया गया और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है?	कई पार्टी ने यह सवाल उठाया। पूछे गए खास सवालों में ये शामिल हैं: • एक बच्चे अंदर ये नस्लवादी विचार कब और कैसे विकसित किए गए? • उनके अंदर पनपने वाले नस्लवादी विचारों को जल्दी क्यों नहीं रोका गया? • उसकी ऑनलाइन गतिविधि और उसके डिवाइसों की जाँच, बड़े पैमाने पर क्यों नहीं की गई? • ऐसे कौन से कारक थे जिनकी वजह से एक किशोर और कम उम्र के वयस्क ने यह रास्ता अपनाया? • वह ऐसी किन गतिविधियों में शामिल था जिनकी वजह से उसकी सोच, कट्टरपंथ के इस स्तर तक पहुँच गई? • भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कौनसे कारगर सुझाव दिए जा सकते हैं? • क्या हस्तक्षेप करने के अवसर चूक गए थे? • इस घटना के बाद, कट्टरपंथ और नफ़रत के रास्ते को किन तरीकों से रोका जा सकता है? • अमानवीय कदमों को बढ़ावा देने वाली और हिंसा को भड़काने वाली वेबसाइटों और ऑनलाइन गेमिंग को ऐक्सेस करने और नियंत्रित करने से जुड़े कौनसे कदम उठाए जा सकते हैं जो स्थायी क़ानून और विधायिका के हिसाब से हों? जिन बिंदुओं पर चिंता ज़ाहिर की गई है उनमें यह बात शामिल है कि RCOI ने आतंकवादी के ऑनलाइन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पूरी जाँच नहीं की। उनमें यह भी पूछा गया है कि क्या राज्य के अधीन आने वाली एजेंसियाँ, ऑनलाइन चरमपंथ से जुड़े संसाधनों पर ठीक से केंद्रित करके, हमले का पता लगा सकती थीं।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

3	आतंकवादी के यात्रा से जुड़े इतिहास के बारे में क्या जानकारी है और क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे पता चले कि उसने विदेश में प्रशिक्षण लिया है?	इस मुद्दे को कई पार्टियों ने उठाया है। पूछे गए खास सवालों में यह बात भी शामिल है कि जब वह न्यूज़ीलैंड आया, तो यात्रा से जुड़ी इतिहास बताने वाली सुविधा ने चेतावनी क्यों नहीं दी। साथ ही, क्या उसने विदेशों में प्रशिक्षण लिया और उधर ही मारा गया (यह बात उसकी बहन के बयान के आधार पर कही जा रही है, जिसने बताया कि वह अफ़ग़ानिस्तान गया था)। जिन लोगों ने हमले के दौरान आतंकवादी को देखा उन्होंने अपने अनुरोधों में आतंकवादी के फ़ायरआर्म (बंदूक) के इस्तेमाल करने के तरीके और सैन्य रणनीतियों की क्षमता को लेकर चिंता ज़ाहिर की है।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
4	क्या ख़ुफ़िया विभाग/पुलिस से, चेतावनी को लेकर चूक हुई थी?	उठाए गए खास मुद्दों में ये शामिल हैं: “Barry Harry Tarry” जैसे कोड को ट्रैक कर पाने में ख़ुफ़िया विभाग की विफलता या IP122.61.118.145 के फ़ॉलो अप के साथ-साथ फ़ायरआर्म (बंदूक) से जुड़े नीचे दिए गए मुद्दे।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)
5	क्या फ़ायरआर्म की गलत लाइसेंसिंग व्यवस्था की वजह से मौतें हुईं?	कई पक्षों ने यह बात उठाई कि वे RCOI के उस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं जिसमें उसकी ओर से फ़ायरआर्म प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का हमले से संबंध नहीं जोड़ा जा सका।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
6	फ़ायरआर्म और गोला-बारूद की कोई खरीदारी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई?	परिवारों ने इस बात पर चिंता जताई है कि गोला-बारूद की खरीद रिपोर्ट नहीं होती और पुलिस बड़ी खरीदारियों को ट्रेस और मैप नहीं करती, उदाहरण के लिए, ज़्यादा क्षमता वाला गोला-बारूद।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

7	बंदूक क्लब सदस्यताओं पर कानून।	कुछ परिवारों के अनुसार ओटैगो शूटिंग स्पोर्ट्स राइफ़ल और पिस्टल क्लब और ब्रूस राइफ़ल क्लब के सदस्यों ने आतंकवादी के बारे में चिंता जताई थी और पूछा था कि क्या रिपोर्ट करने को ज़रूरी बनाना चाहिए।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
8	अस्पताल ने जुलाई 2018 में आतंकवादी की फ़ायरआर्म चोट की रिपोर्ट क्यों नहीं की थी?	ऊपर जैसा बताया गया।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
9	क्या प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए रिपोर्ट करना ज़रूरी होना चाहिए?	कुछ परिवार इस बात से परेशान हैं कि आतंकवादी के मकान मालिक ने गलती से चले फ़ायरआर्म से आतंकवादी की किराये वाली प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट नहीं की थी।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
10	आतंकवादी के RCOI साक्षात्कार के बारे में 30 साल तक कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई?	कई सबमिशन में शिकायत की गई कि परिवार छिपाई गई जानकारी नहीं पा सके और यह नहीं जान सके कि क्या कॉरोनर ने उस जानकारी को देखा है।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

11	क्या आतंकवादी को 15 मार्च 2019 को मौजूद अन्य व्यक्ति का सीधा सहयोग मिला था?	कुछ पक्षों के अनुसार अन्य शूटर या सहयोगी मौजूद था। यह गौर किया गया कि GoPro footage में कोई आतंकवादी की कार के पास हाथों में दूरबीन लिए जाता दिखा और इसके बाद ही आतंकवादी बढ़ा। ऐसे भी दावे हैं कि गवाहों के अनुसार काले कपड़ों में कम से कम एक और व्यक्ति बिना किसी वजह के मस्जिद अन-नूर के बाहर था। एक गवाह यह मानता है कि यह व्यक्ति (और आतंकवादी नहीं) मस्जिद अन-नूर के दाईं ओर गोलियाँ चला रहा था। ऐसा दावा है कि मस्जिद अन-नूर के कुछ गवाहों ने कहा की उन्होंने आतंकवादी को किसी से बात करते हुए सुना और जिससे उसने पुलिस के आने पर चेतावनी देने को कहा था। अन्य अनुरोधों में पूछा गया है कि क्या आतंकवादी की कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया है, जब वह लिनवुड इस्लामिक सेंटर जा रहा था? यह विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि उसके साथ कौन था, अगर कोई था तो क्या दोनों तरफ़ से बातचीत हो रही थी?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
12	पुलिस ने शुरुआत में 9 लोगों का शामिल होना बताया था।	कुछ सबमिशन में पूछा गया कि क्या इसका मतलब एक से ज़्यादा शूटर हैं।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
13	क्या मौके पर मौजूद सभी फ़ायरआर्म से उंगलियों के निशान या डीएनए लिए गए?	कुछ सबमिशन का मानना है कि इससे सहयोगियों की पहचान हो सकती है।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

14	क्या हमले के बाद आतंकवादी के पास कोई छिपने की जगह तैयार थी?	कुछ अनुरोधों में कहा गया है कि यह असोसिएट की पहचान करने का एक तरीका है।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
15	क्या आतंकवादी को ऑनलाइन सहयोगियों से अप्रत्यक्ष तौर पर मदद मिली थी?	आतंकवादी का कंप्यूटर फ़ोरेंसिक रूप से अहम सबूत है – उसका पता लगाया जाना चाहिए। एक अन्य सबमिशन में "पुष्टि पूर्वाग्रह" की संभावना बताई गई। ऐसा इसलिए, क्योंकि शुरुआती दौर में उसे अकेला मान लिया गया और देखा गया कि उसके घोषणापत्र में अतिवादी दक्षिणपंथी वेबसाइटों और कई आंतरिक चुटकुलों की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। क्या उसकी खोजों और ब्राउज़ करने पर राऊटर वाले लॉग की जाँच की गई? क्या उसके संपर्क के लोगों की सारी जानकारी का फ़ॉलो अप किया गया था?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
16	क्या गेम खेलने वाले दोस्त ने बंदूक में बदलाव करने में मदद की है?	परिवारों को पता नहीं है कि इसकी जाँच की गई है।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
17	सवाल यह है कि हमले की तैयारी करते समय आतंकवादी ने स्टेरॉयड कैसे बनाया।	कुछ अनुरोधों में कहा गया है कि यह असोसिएट की पहचान करने का एक तरीका है।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

18	सवाल यह है कि आतंकवादी मस्जिद अन-नूर के मिसन की आखिरी निगरानी करने के बाद, क्राइस्टचर्च से डुनेडिन वापस आते समय रातभर कहाँ ठहरे थे।	कुछ अनुरोधों में पूछा गया है कि क्या असोसिएट ने आतंकवादी को ठहरने की जगह दी थी और क्या वह हमले में शामिल है।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
19	शहीदों की हर एक गतिविधि के बारे में क्या जानकारी है और क्या किसी भी मरने वाले व्यक्ति को जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट देकर बचाया जा सकता था?	कई पार्टी ने अनुरोध में यह बात ज़ाहिर की है कि मौत की असल वजह को लेकर विशेषज्ञों की राय माँगी जाए। चिंता की बात यह है कि मौजूदा जानकारी बहुत सामान्य है या बहुत कम है। अनुरोध में यह बात ज़ाहिर की गई है कि शहीद और प्रभावित हुए व्यक्ति की हमले से पहले, उस दौरान और उसके बाद की अहम जानकारी की ज़रूरत है, जिसमें शामिल है (a) उनकी मस्ज़िद की यात्रा, (b) मस्ज़िद में उनकी गतिविधियाँ, (c) वे किनके साथ थे, (d) मस्जिद में और उसके आस-पास उनकी गतिविधियाँ, (e) तुरंत मरने की वजह और तरीका, और (f) हर व्यक्ति की मौत कब और कहाँ हुई (जिस हद तक पता लगाया जा सके)।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

20	क्या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों के पास ट्रेनिंग और संसाधन, दोनों उपलब्ध हैं?	कई पार्टी ने यह सवाल उठाया। इस बात पर चिंता ज़ाहिर की गई है कि आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाले सभी व्यक्तियों, जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस सेवा, और क्राइस्टचर्च अस्पताल ने 15 मार्च, 2019 में किस तरह से मदद की है, इस चीज़ पर कोई सार्वजनिक जाँच नहीं हुई है। परिवारों के लोग जो हुआ उसकी गंभीरता को समझते हैं और आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों के असल प्रयास के लिए आभारी हैं। हालाँकि, उन्हें इस बात की चिंता थी कि जो हुआ उससे निपटने के लिए, आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाला व्यक्ति 'सामग्री' या ट्रेनिंग (आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाला अन्य व्यक्तियों के साथ ट्रेनिंग भी शामिल है) को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं थे। शामिल किए गए खास सवाल: • क्या पुलिस के सदस्य, आर्म्ड ऑफेंडर्स स्क्वाड (एओएस), और स्पेशल टैक्टिस ग्रुप (एसटीजी) "जो घायलों का इलाज करते थे, उनकी जाँच करते थे और उन्हें जल्दी से जल्दी आगे के इलाज के लिए भेजते थे," वे सभी वैसे ही ट्रेन थे जैसा कि सबूतों की खास जानकारी वाली रिपोर्ट में बताया गया था? • क्या एओएस और एसटीजी के सदस्य, "जो घायलों का इलाज करते थे, उनकी जाँच करते थे और उन्हें जल्दी से जल्दी आगे के इलाज के लिए भेजते थे," वे एओएस मेडिक्स या एसटीजी मेडिक्स थे, जैसा कि सबूतों की खास जानकारी वाली रिपोर्ट में बताया गया था? • क्या एसटीजी के सदस्य, "जो घायलों का इलाज करते थे, उनकी जाँच करते थे और उन्हें जल्दी से जल्दी आगे के इलाज के लिए भेजते थे," उनके पास हाल ही का सालाना सर्टिफ़िकेट है; क्या उन्होंने सालाना होने वाली रीफ़्रेशर ट्रेनिंग ली है; और क्या उन्होंने पैरामेडिक्स प्रमाणित सेंट जॉन एम्बुलेंस में 40 घंटे की सवारी करके ट्रेनिंग पूरी की है? • क्या वजह है कि एओएस मेडिक्स उस लेवल तक ट्रेन नहीं होते जितने की एसटीजी मेडिक्स होते हैं? क्या उन्हें भी इतना ट्रेन होना चाहिए? • क्या एसटीजी के सदस्यों के लिए, पैरामेडिक्स प्रमाणित सेंट जॉन एम्बुलेंस में 40 घंटे की सवारी को "कोशिश" की जगह ज़रूरी कर देनी चाहिए?	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

21	पुलिस जल्दी क्यों नहीं पहुंची थी?	अनुरोध में दोपहर में 1:32 बजे अधिकारियों को भेजे जा रहे आतंकवादी घोषणापत्र का मुद्दा उठाया गया है।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।
22	आतंकवादी वहां से कैसे निकला, उसने अपने हथियार को दोबारा लोड कैसे किया, और वह मस्जिद अन-नूर में पुलिस से बचकर दोबारा कैसे अंदर चला गया?	कुछ परिवारों को इस बात की चिंता है कि आतंकवादी ने हमला शुरू कर दिया है और उसके पास बाहर जाने, हथियार को दोबारा लोड करने और मस्जिद अन-नूर में दोबारा अंदर आने का समय है। उन्होंने इस बात की भी चिंता ज़ाहिर की है कि कैसे आतंकवादी समय को लेकर इतना सटीक था। यह पुलिस की लापरवाही थी कि वह बेझिझक होकर बाहर गया, हथियार को दोबारा लोड किया और अन्य लोगों को मारने के लिए वापस आया।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।
23	किस वजह से इलाज में देरी हुई है?	कई अनुरोधों में यह मुद्दा उठा है कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस देर से पहुंची है और घायलों का इलाज करने में देरी हुई है।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।
24	आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाला व्यक्तियों ने आम नागरिकों को सहायता देने के लिए मस्ज़िद में आने से क्यों रोका?	यह मुद्दा कई पार्टी ने उठाया है। मस्ज़िद अन-नूर में लोगों को अंदर जाने में देरी को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, जबकि ज़िंदा बचे लोगों/गवाहों ने पुलिस को आतंकवादी के चले जाने की सूचना दे दी थी। लोग उन लोगों की जान बचाने के लिए मस्जिद में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें गोली मारी गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

25	क्या पुलिस ने एम्बुलेंस सेवा को मस्जिद अन-नूर में जाने से रोका और अगर हाँ, तो क्यों?	कुछ परिवारों ने भी बताया कि पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मियों (और अन्य लोगों) को मस्जिद अन-नूर में प्राथमिक उपचार देने के लिए जाने से रोका। कुछ ने पूछा है कि क्या प्राथमिक मेडिकल स्टाफ़ के लिए पुलिस ने रुकावटें लगाई थीं जिससे कुछ पीड़ितों के ज़िंदा बचने की उम्मीद कम हो गई।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

26	किन लोगों ने घायलों और मरने वाले व्यक्तियों की जाँच की है और कैसे की है?	कई परिवारों ने मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को लेकर ये सवाल शामिल हैं: • आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों ने हर केस में यह कैसे पता किया कि व्यक्ति ज़िंदा नहीं है? • यह किसने तय किया कि कोई ज़िंदा है और उसे अस्पताल ले जाना है? • यह पक्का करने के लिए क्या कदम उठाये गए कि जो शहीद हुए हैं, जिन्हें बाद में यह माना गया कि वे घटनास्थल पर ही मर चुके थे, वे वास्तव में ज़िंदा नहीं थे और शायद उन्हें आपातकालीन सहायता दी जा सकती थी? • क्या ज़िंदा पीड़ितों को गलती से मरा हुआ समझ लिया गया होगा और उन्हें इस वजह से इलाज नहीं मिल पाया होगा? • क्या यह पता लगाया गया कि जो लोग ज़िंदा थे, जो ज़िंदा रह सकते थे, और जिनके अंग काम कर रहे थे उनकी मरने की वजह क्या थी? अगर ऐसा हुआ, तो कैसे किया गया? • क्या कोई पीड़ित ज़िंदा रहने के लक्षण दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाला व्यक्ति को लगा कि उनकी जान बचाई नहीं जा सकती थी? • हर मृतक की किस समय और किसने जाँच की थी? • क्या इन जाँच के आकलन का कोई रिकॉर्ड है? अगर ऐसा नहीं है, तो क्या ऐसे रिकॉर्ड रखे जा सकते/होने चाहिए थे? • क्या ऐसा कोई सिस्टम था जिसमें पीड़ितों को उठाने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया हो या ऐसा कोई अन्य सिस्टम जिसमें सब मिलकर पीड़ितों को इलाज के लिए मस्जिद के बाहर ले जा रहे हो?	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

		• क्या लिनवुड इस्लामिक सेंटर में जाँच करने के लिए, स्थानीय मेडिकल सेंटर के डॉक्टर शामिल थे? • पुलिस, पैरामेडिक्स सेवाओं और प्राथमिक इलाज देने वाली अन्य सेवाओं ने क्या कार्रवाई की थी?	
27	घटनास्थल पर ही गोली लगे घायलों को सहायता देकर बचा लेने का कोई सबूत है?		इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
28	क्या रेडियो की समस्याओं ने किसी भी तरह से जीवन को नुकसान पहुँचाने में योगदान दिया है?	कई परिवार जानना चाहते हैं कि औपचारिक पुलिस पूछताछ में पहचानी गई रेडियो प्रोटोकॉल और रीयल टाइम ट्रैकिंग तकनीक की समस्याओं ने किसी भी तरह से जीवन को नुकसान पहुँचाने में योगदान दिया है। यही सवाल एम्बुलेंस सेवा की जाँच प्रक्रिया पर लागू होता है।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।
29	क्या जाँच/मेडिकल सहायता के दौरान काफी कंट्रोल और निर्देश मौजूद थे?	इस बात पर चिंता ज़ाहिर की गई है कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस व्यक्ति ने किसे मारा है। साथ ही, कई गोली लगने से घायल लोगों को जनता के सदस्य अस्पताल ले गए या वे खुद अस्पताल चले गए, इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है।	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

30	जब मस्जिद अन-नूर में गोलीबारी की सूचना आई थी, तब क्या पुलिस को लिनवुड इस्लामिक सेंटर में एक टीम तैनात करनी चाहिए थी ?	कुछ परिवारों ने यह चिंता ज़ाहिर की है कि मस्जिद अन-नूर में गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लिनवुड इस्लामिक सेंटर में कोई टीम तैनात नहीं की। अन्य लोगों ने पूछा है कि शहर में अन्य इस्लामिक साइट सुरक्षित क्यों नहीं है?	यह मुद्दा जाँच के दायरे में है।
31	क्या ट्रैफ़िक सीसीटीवी, आतंकवादी को लिनवुड इस्लामिक सेंटर पहुंचने से पहले पकड़ने में मदद कर सकता था?	उस दिन की घटना को रिकॉर्ड करने वाले सीसीटीवी पर मुद्दा उठाया गया है। इसमें आतंकवादी की मस्ज़िद अन-नूर से लेकर लिनवुड इस्लामिक सेंटर तक की ड्राइव शामिल है। यह मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि क्या इनमें से कोई भी सीसीटीवी पुलिस की निगरानी वाला सीसीटीवी था। अगर ऐसा है, तो आतंकवादी की कार की रफ़्तार और अनियमित ड्राइविंग के जवाब में क्या कार्रवाई की गई थी?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
32	आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले आने वाले पुलिस के सदस्य, ज़िंदा बचे कुछ लोगों के लिए आक्रामक थे?	इस बात पर चिंता ज़ाहिर की गई है कि कुछ ज़िंदा बचे लोगों ने 15 मार्च, 2019 में उन गोलियों के जवाब में पुलिस के आक्रामक होने की सूचना दी थी। जिसमें कहा गया था, “ज़िंदा बचे लोगों की स्थिति को देखकर यह समझा जाता है कि उस दिन गोली मारने वाला आतंकवादी अकेला नहीं था। ऐसे व्यवहार से होने वाले सदमे और झटके की वजह से मौत होने को लेकर सवाल उठता है।”	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

33	क्या पुलिस ने आतंकवादी को भागने की “अनुमति” दी थी।	ज़िंदा बचे व्यक्ति ने यह दावा किया है कि उसने उसी समय वहाँ पुलिस को आतंकवादी के रूप में देखा और उन्होंने उसे भागने की अनुमति दी थी।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
34	क्या पुलिस, आतंकवादी को लिनवुड इस्लामिक सेंटर की तरफ़ जाते समय रोक सकती थी?	अनुरोध में यह मुद्दा उठा है कि पुलिस ने आतंकवादी को लोगों पर गोली चलाने के बाद भी, तेज़ और अनियमित गाड़ी चलाने के लिए नहीं रोका।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
35	क्या आपातकालीन 111 लाइन पर ज़्यादा गतिविधि होने की वजह से लिनवुड इस्लामिक सेंटर से आई शुरुआती कॉल छूट गई थीं?	अनुरोध में यह मुद्दा उठा है कि लिनवुड इस्लामिक सेंटर से 111 लाइन पर शुरुआती कॉल तब किए गए थे, जब पहली बार गोलियाँ चलीं, लेकिन कॉल को 6 मिनट तक होल्ड पर रखा गया था। खास सवालों में ये शामिल हैं: क्या सभी कॉल पुलिस के ज़रिए किए गए, इनका जवाब देने के लिए पुलिस के पास कितने लोग थे, क्या नरसंहार के सिलसिले में किए गए 111 पर लगाए गए कॉल के तालमेल और बातचीत की रफ़्तार को बेहतर बनाने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है, और क्या 111 लाइन पर क्षमता से ज़्यादा कॉल एक साथ आने से भी मस्ज़िद हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
36	क्राइस्टचर्च अस्पताल को हमले की सूचना कब और कैसे दी गई?	अनुरोध में यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि मस्जिद अन-नूर से आ रहे दो लोगों ने पहली बार क्राइस्टचर्च अस्पताल को हमले की सूचना दी? अगर हाँ, तो अस्पताल को ज़ल्दी सूचना क्यों नहीं दी गई? दो लोगों के आने की वीडियो देखें।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

37	क्या हमले के बाद/ तुरंत जवाब के दौरान क्राइस्टचर्च अस्पताल की भूमिका और प्रक्रियाओं में कोई समस्या आई थीं	शामिल किए गए खास सवाल: • गोलीबारी की सूचना के बाद सीडीएचबी, पुलिस और एम्बुलेंस सेवा के बीच क्या जानकारी शेयर की गई? • क्या किसी को मरा हुआ बताने या किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करने को लेकर, शर्तों/जाँचों के संदर्भ में क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल के साथ किसी तरह की बातचीत की गई? • क्या किसी की जान बचाने के लिए मस्ज़िद में कोई अस्पताल सेवा की गई थी? • उस दिन क्या हुआ था? क्या लोगों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं? क्या जान बचाई जा सकती थीं? • क्या पीड़ितों के साथ किए गए व्यवहार में कोई कमी थी, जिससे शहीदों के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठे?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

38	क्या सीडीएचबी ने आपातकालीन नीतियों को सही तरीके से लागू किया और उनका इस्तेमाल किया?	खास सवालों में ये शामिल हैं: • मुख्य घटना योजना क्या है? यह कैंटबरी डीएचबी हेल्थ इमरजेंसी प्लान 2017 से किस तरह जुड़ी हुई है? क्या किसी स्वतंत्र मकसद के हिसाब से यह सबसे सही तरीका है? क्या इसे फ़ॉलो किया गया और किसने फ़ॉलो किया? इस तरह की योजनाओं पर, इससे पहले स्टाफ़ को क्या ट्रेनिंग दी गई? ट्रेनिंग कब-कब हुई? किस लेवल के स्टाफ़ को ट्रेनिंग दी गई? • क्या सीडीएचबी ने 15 मार्च, 2019 को इनमें से कोई या सभी बनाए या इस्तेमाल किए थे? o ईओसी: आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र। ऐसी स्थापित जगह जहाँ किसी घटना का जवाबी ऑपरेशन कंट्रोल होता है और दिया जाता है। o आपातकालीन सहयोग केंद्र: कोई स्थापित जगह, जहाँ किसी घटना पर कार्रवाई को कोऑर्डिनेट किया जाता है और जो ईओसी को ऑपरेट करती है। o कोऑर्डिनेटेड इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपातकालीन घटनाओं को तरीके से मैनेज करने वाला स्ट्रक्चर जिससे किसी आपातकाल में शामिल कई एजेंसी या इकाइयाँ साथ काम कर सकती हैं। • अगर ऊपर बताए गए में से कुछ भी बनाया गया या इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा किस तरह हुआ? • क्या घटना में मदद के लिए कई केंद्र स्थापित हुए और कई सिस्टम और योजनाओं को लागू किया गया?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

39	आपातकालीन सेवाओं में सहयोग।	सबमिशन में पूछा गया है कि क्या आतंकवादी हमले से निपटने के लिए कोई तैयारी की गई थी और आपातकालीन सेवाओं में कैसा सहयोग था। खास सवालों में ये शामिल हैं:
		• क्या आतंकवादी हमले से निपटने के लिए कोई तैयारी की गई थी और क्या नीतियाँ, सिस्टम, और तरीके तैयार किए गए थे?
		  ○ क्या इन नीतियों में साथ में योजना बनाना और तैयारी करना शामिल था?
		• इन नीतियों, सिस्टम, और तरीकों का कैसा अनुपालन हुआ?
		• स्थानीय मस्जिदों और राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन के प्रोटोकॉल क्या थे?
		  ○ पिछले सालों में बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसी ने मस्जिदों को किस तरह के सुरक्षा सिस्टम के सुझाव दिए हैं?
		• क्या ट्रेनिंग, तैयारी या नीति में कमी या नीतियों और सिस्टम के अनुपालन में कमी से प्राथमिक मदद पहुँचाने वाले व्यक्ति की दूसरों की जान बचाने की क्षमता पर असर हुआ या हुई मौतों पर किसी और तरीके से असर हुआ?
		• क्या सीडीएचबी में इसके लिए प्रावधान थे:
		  ○ सही योजना, तैयारी, नीतियों, सिस्टम, और तरीकों से अस्पतालों का सहयोग, उनकी अनुकूलता, और अनुपालन।
		  ○ आपातकालीन सेवाओं के बीच इंटर-एजेंसी और उनका नागरिक सेवाओं से संचार और सहयोग।
		  ○ संसाधनों का सही इस्तेमाल और सहयोग।
		  ○ ऊपर दी गई सभी बातों का आपातकालीन कार्रवाई की तैयारी या उसके लागू होने पर हुआ असर।
			इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

40	मोबाइल संचार और मौत के समय के बीच अंतर बताए गए?	कुछ पक्ष सामान्य सबूत अवलोकन की ओर से पैराग्राफ़ 8.4 में की गई टिप्पणी से संतुष्ट नहीं थे, जिसमें कहा गया: “पुलिस की जाँच में पता चला कि ऐसा उस दिन सेल्युलर फ़ोन और/या कनेक्टिविटी में गड़बड़ी की वजह से हुआ।” कुछ अन्य पीड़ित मरने से पहले अपने परिवारों से संपर्क कर पाए थे।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
41	शूटिंग की समयावधि में अंतर।	कई सबमिशन में बताया गया कि सामान्य सबूत अवलोकन में पहली गोलियाँ दोपहर 1:40 को चली जबकि समन्वय रिपोर्ट में पहली गोलियाँ दोपहर 1:45 को रिकॉर्ड हुई। अन्य सबमिशन में भी बताया गया की लोगों से जुड़े मामलों में अन्य अंतर थे।	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
42	सभी परिवारों को डीवीआई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई: उन्हें नहीं पता था कि यह मौजूद है और वे इसे मांग सकते थे।	-	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।
43	परिवारों ने जानकारी के अनुरोध किए हैं जो खारिज हुए या उनके जवाब नहीं दिए गए।	-	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

44	क्या जानकारी देने की प्रक्रियाओं को बेहतर किया जा सकता था?	कई परिवारों ने अपने गुमशुदा परिजनों के बारे में हेग्ले स्कूल और क्राइस्टचर्च अस्पताल से जानकारी पाने में समस्याओं के बारे में बताया।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।
45	मरने वालों के परिजनों को उनके शव, किसी की निगरानी के बिना देखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई?	सबमिशन में बताया गया है कि यह परिजनों को परेशान कर देने वाला मंज़र था।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।
46	क्या परिजनों को बाहर ले जाने से पहले, उनके साथ पोस्टमॉर्टम की जाँच को लेकर चर्चा की जानी चाहिए? क्या न्यूज़ीलैंड पुलिस, सेंट जॉन एंबुलेंस, और क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल में, शहीदों के शवों के साथ परंपरा के हिसाब से उचित व्यवहार किए जाने की प्रक्रिया है?	सभी पक्ष, इस मामले से जुड़े कानून को समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कानून में बदलाव होना चाहिए और/या मुस्लिम मान्यताओं के संदर्भ में बातचीत की जानी चाहिए थी। उन्हें यह भी लगता है परंपरा का ज़्यादा पालन किए जाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, यह पक्का करना कि शव को को महिला न छुए। सबमिशन में जो आम मुद्दे उठाए गए थे. उनमें यह भी शामिल है कि महिलाओं के शवों की सफ़ाई और उन्हें उठाने का काम महिलाएँ ही करेंगी. ठीक इसी तरह, पुरुषों के शवों की सफ़ाई और उन्हें उठाने का काम पुरुष ही करेंगे। पीड़ितों की आँखें और निचला जबड़ा बंद होना चाहिए और शव सफ़ेद चादर से ढँका होना चाहिए।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

47	पारंपरिक कामकाज और कोरोनियल इंक्वायरी	परिजनों ने यह मुद्दा उठाया था कि कोरोनर को पारंपरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें मरने वालों के नामों और मस्जिद की सही वर्तनी शामिल है।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।
48	मस्ज़िदों और इस्लामिक केंद्रों की सुरक्षा।	सबमिशन में कई मुद्दे शामिल थे, चाहे नफ़रत में बदला लेने की भावना से न्यूज़ीलैंड की धार्मिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने की बात हो या सरकार से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा हो। अन्य सबमिशन में यह मामला भी उठाया गया कि RCOI ने मस्ज़िद हमले के पहले के कुछ सालों में हुई संदिग्ध गतिविधियों के ब्यौरे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे मस्ज़िद की सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत तुरंत महसूस की जा सकती थी। कोरोनर से इस बात की जाँच की माँग की जा रही है कि मस्ज़िद को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
49	अकेले वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकियों पर नज़र रखने की क्षमता में कमी।	सबमिशन में यह माँग भी सामने आई कि कोरोनर इस बात की भी जाँच करें कि NZSIS के पास ऐसे आतंकियों की पहचान करने के लिए कोई रणनीति या क्षमता है या नहीं।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
50	मुस्लिमों के ख़िलाफ़, संस्थाओं का पूर्वाग्रह।	यह मुद्दा भी उठाया गया था कि इस्लाम को लेकर डर के चलते संस्थाओं के मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रहों की वजह से दक्षिणपंथी चरमपंथ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कोरोनर से इस बात की जाँच करने की भी माँग की गई कि क्या संस्थाओं में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह भी एक जिम्मेदार कारक था।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

51	आतंकियों के परिवार की जिम्मेदारियाँ।	कुछ परिवारों ने आतंकियों के परिवारों की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आतंकी के परिवार को सरकारी एजेंसियों को, राजनीतिक विचारों के प्रति आतंकी की चिंताओं के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, यह भी बताना चाहिए कि 15 मार्च, 2019 को जब आतंकी ने उन्हें मैसेज भेजा था, तब उन्होंने तुरंत कोई कदम क्यों नहीं उठाया।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।
52	शहीद की टिप्पणी।	न्यूज़ीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्या कार्रवाई की? क्या उनका इस्लामिक आतंकवाद पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस था और इसकी वजह से इस आतंकी को देश में कहीं नहीं रोका गया और उसे वह करने दिया गया जिसकी तैयारी करके वह आया था?	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (RCOI का मानना है)।
53	शिकायत की प्रक्रिया।	न्यूज़ीलैंड में मुस्लिमों के व्यवहार के बारे में पुलिस को कई शिकायतें मिली थीं – गंभीरता से नहीं लिया गया। लिनवुड इस्लामिक सेंटर की एक घटना है, पुलिस ने हथियारबंद सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन एक हफ़्ते बाद भी उनके पास हथियार नहीं थे।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लिनवुड इस्लामिक सेंटर की घटना 15 मार्च, 2019 से पहले हो गई थी)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

54	हमलों के बाद परिजनों के साथ बातचीत में देरी और भ्रम की स्थिति की वजह क्या थी और नरसंहार की घटनाओं के बाद बातचीत की प्रक्रिया कैसे बेहतर बनाई जा सकती थी?	सबमिशन में यह पता चला कि जानकारी लेने में हुई देरी या गलत जानकारी वाले प्रावधान से काफ़ी मुश्किल हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि परिजनों ने अपनों को पहचानने के लिए, शूटिंग की GoPro फ़ुटेज की मदद ली। शामिल किए गए खास सवाल: • क्या पुलिस के इंटरव्यू करने और बयान लेने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई? ○ ज़्यादा लोगों से अच्छी और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, इन प्रक्रियाओं को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी, और ज़्यादा असरदार तरीके से पूरा किया जा सकता था? ○ क्या अहम जानकारी को महीनों बाद सामने लाने के बजाय इंटरव्यू की प्रक्रिया से, शुरुआत में ही जब मुद्दा ताज़ा था, तब काफ़ी ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सकती थी। इनमें पीड़ितों की आपसी बातचीत को बार-बार नुकसान पहुँचाकर जुटाई गई जानकारी? • परिवारों के साथ जो हुआ उसके बारे में रिपोर्ट फिर से तैयार करने और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, कनेक्शन बनाने, अनुमान लगाने, और विश्लेषण करने का काम कैसे किया जा सकता है?	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

55	हमलों पर प्रतिक्रिया कोई अंदरुनी समीक्षा हुई या नहीं।	सबमिशन में पूछा गया कि सीडीएचबी, पुलिस, और सेंट जॉन एंबुलेंस ने हमलों के बाद की अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा की या नहीं। इन प्रक्रियाओं में एजेंसियों के तालमेल, बातचीत की लाइनें, और प्रक्रियाओं में किए गए बदलाव भी शामिल हैं। शामिल किए गए खास सवाल: • क्या हर तरह की ऐसी इमरजेंसी सेवाओं की मौजूदगी को लेकर आपस में जागरूकता बढ़ाने का अवसर था जो उस दिन हमले के समय जवाबी काम आ सकती थीं? • हर इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को एक-दूसरे की जगह और जरूरत पड़ने पर काम करने की क्षमता की जानकारी कैसे मिल सकती है? • क्या एजेंसियों द्वारा सही सूचना मिलने पर, जस्टिस प्रीसिंक्ट जैसा स्थानीय ऑपरेशन कमांड सेंटर, सभी इमरजेंसी घटनाओं और सेवाओं का कैलेंडर बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है और ज़रूरत होने पर, इन सेवाओं के तालमेल में मदद कर सकता है? ○ क्या बातचीत का ऐसा कमांड सेंटर सभी के तालमेल में अहम भूमिका निभा सकता है? • क्या इमरजेंसी सेवाओं की पहचान से पुलिस की शपथ लेने वाले अधिकारियों की पहचान करने की समस्या हल हो सकती है? ○ क्या इस तरह के तालमेल और बेहतर पहचान से न केवल पुलिस को अन्य अधिकारियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, बल्कि पीड़ितों को पुलिस और इमरजेंसी की स्थिति में मदद करने वालों की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है?	इस मुद्दे को जानकारी के अनुरोध से हल करने का सुझाव दिया गया है।

अपेंडिक्स एक: अनुरोध करने के दौरान उठे मुद्दे

56	दस्तावेज़ों में कमियाँ।	एक सबमिशन में यह सवाल उठाया गया कि क्या इच्छुक पक्षों की कोई सूची है। साथ ही, पहले इस्तेमाल की गई सूचियाँ बनाने वालों से नई सूची बनाने का भी अनुरोध किया गया। सबमिशन में इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि किसे पीड़ित माना जाएगा। मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने और उन प्रमाणपत्रों में हुई गलतियों को ठीक करने की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई गई। इसी तरह की चिंता इस्तेमाल किए गए डीवीआई दस्तावेज़ों को लेकर भी जताई गई। कुल मिलाकर, सबमिशन में इस बात को शामिल किया गया कि पीड़ितों को मिली जानकारी, उनकी ज़रूरत के हिसाब से और सटीक होनी चाहिए थी। इनमें सबूतों का अवलोकन भी शामिल है।	इंक्वायरी के दायरे से बाहर (इस मामले की जाँच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है)।